राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3 / शिकायत) विभाग

क्रमांक प. 2(1)(27)का / क–3 / शि / 2022 जयपुर दिनांक 26/4/2022

आदेश

श्री नन्नूमल पहाडिया, आई.ए.एस., तत्कालीन जिला कलक्टर अलवर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 140 / 2022 अन्तर्गत धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 384, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम दृष्ट्या लिप्त पाये जाने पर ब्यूरो द्वारा दिनांक 23.04.2022 को गिरफ्तार किया जाकर 48 घंटे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।

अतः राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उप नियम (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नन्नूमल पहाडिया, आई.ए.एस. को दिनांक 23.04.2022 से निलम्बित माने जाने (Deemed to have been suspended) के एतदद्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री नन्नूमल पहाडिया, आई.ए.एस. का निलंम्बन काल के दौरान मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

(डॉ. प्रिया बलराम शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि श्री नन्नूमल पहाडिया, आई.ए.एस. के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री नन्नूमल पहाडिया, आई.ए.एस. को सुपुर्द करा कर प्राप्ति रसीद इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें। इन्हें इनके निलम्बन काल में अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते, के बराबर निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
6. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान, जयपुर।
7. श्री नन्नूमल पहाडिया, आई.ए.एस. द्वारा संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग।
8. कोषाधिकारी, जयपुर / शासन सचिवालय, जयपुर।
9. कार्मिक (क–1 / गोपनीय) विभाग।
10. कार्मिक (क–3 / जॉच) विभाग।
11. उप निदेशक, कम्प्यूटर सेल।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव